Rcms 2018/00103

बर व तारी
काम जो इ
म की तामी
में जारी हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04 / 2018 (~~अपील~~) प्रा.पत्र

उनवान

लटूरलाल आत्मज श्री धन्ना जी जाति मीणा निवासी ग्राम मूडली तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1. रामपाल पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम मूंडली तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठोड (अभिभाषक प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 बाबत निरस्त किये जाने आवण्टन आदेश दिनांक 17.06.1989 वाके ग्राम मूंडली तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

निर्णय दिनांक :21.08.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत बाबत अप्रार्थी के आवंटन आदेश दिनांक 17.06.1989 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी बाद तामील नोटिस उपस्थित नहीं हुआ। तहसील से आवंटन आदेश की पत्रावली तलब की गई।

3. उपस्थित विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का बहस प्रार्थना पत्र में कथन है कि प्रार्थी ग्राम मूडली तहसील पीपल्दा का स्थायी निवासी है, तथा गरीब काश्तकार है एंव तथा काश्तकारी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। ग्राम मूडली में प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1/2 रकबा 0.70 है0 स्थित है, जो कि काश्तकारी की भूमि है। उक्त आराजी पर प्रार्थी के पूर्वज काफी समय से काबिज काश्त चले आ रहे थे। तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त भूमि को गलत रूप से प्रतिपक्षी को आवंटित किया गया है। जबकि उक्त भूमि पर कभी भी प्रतिपक्षी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। ना ही वह उक्त भूमि की आवण्टन की पात्रता रखता था, इसके उपरान्त भी उक्त आवण्टन किया गया है। प्रतिपक्षी द्वारा अपने आवण्टन फार्म में आराजी खसरा नम्बर 14 का रकबा आवण्टन करने हेतु निवेदन किया गया था, किन्तु आवण्टन फार्म के विपरीत उक्त आराजी का प्रतिपक्षी नम्बर 1 के नाम आवण्टन करने में त्रुटि की है। उक्त भूमि प्रतिपक्षी को आवण्टित होने बाबत पूर्व में प्रार्थी को कोई जानकारी नही थी, क्योंकि प्रार्थी मुतवातिर उक्त आराजी को काश्त करता चला आ रहा है, और आज भी काबिज है। प्रार्थी को उक्त आवण्टन की जानकारी प्रतिपक्षी द्वारा दिनांक 30.4.2018 को प्रथम जानकारी हुई है। जानकारी होने पर दिनांक 02.05.2018 को

नकल प्राप्त कर प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सर्वप्रथम जानकारी की तिथी से अवधि मध्य प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन निरस्त फरमाया जावे। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत छाया प्रति रिपोर्ट पटवारी एंव शपथ पत्र बाबत अप्रार्थी को आवंटित आराजी पर उसका कब्जा काश्त नहीं होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किऐ गये है।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाते है कि अप्रार्थी के पक्ष में वाके ग्राम मूंडली तहसील पीपल्दा की आराजी खसरा नम्बर 1/2 रकबा 0.70 है0 का किया गया आवण्टन निरस्त करने के संदर्भित प्रार्थी का कथन है कि वह उक्त आराजी पर प्रार्थी के पूर्वज काफी समय से काविज काश्त चले आ रहे थे। तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर प्रार्थी काविज काश्त है। उक्त भूमि को गलत रूप से प्रतिपक्षी को आवंटित किया गया है। जबकि उक्त भूमि पर कभी भी प्रतिपक्षी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। ना ही वह उक्त भूमि की आवण्टन की पात्रता रखता था, इसके उपरान्त भी उक्त आवण्टन किया गया है। प्रतिपक्षी द्वारा अपने आवण्टन फार्म में आराजी खसरा नम्बर 14 का रकबा आवण्टन करने हेतु निवेदन किया गया था, किन्तु आवण्टन फार्म के विपरीत उक्त आराजी का प्रतिपक्षी नम्बर 1 के नाम आवण्टन करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ तहसीलदार पीपल्दा से प्राप्त पत्रावली के अनुसार अप्रार्थी को आवंटित आराजी पर दखल दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्राप्त गैरखातेदारी से खातेदारी देने सम्बन्धी प्रपत्र पर रिपोर्ट पटवारी अंकित है, जिस पर लाल स्याही से उक्त आराजी सेटलमेण्ट में चरागाह दर्ज होना तो बताया गया है, किन्तु रिपोर्ट के साथ उक्त सम्बन्ध में कोई रिकार्ड संलग्न नहीं जिससे यह पाया जावे कि उक्त आराजी सेटलमेण्ट में किस्म चरागाह रही है। रिपोर्ट पटवारी में यह भी अंकित किया गया है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। किन्तु तहसीलदार पीपल्दा की ओर से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किऐ जाने के अनुक्रम में अप्रार्थी के पक्ष में किऐ गये आवण्टन को निरस्त करने सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त प्रपत्र बाबत दिये जाने खातेदारी पर अलावा पटवारी के भू-अभिलेख निरीक्षक एंव तहसीलदार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं है। प्रपत्र अपूर्ण है। भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निम्न तीन कारणों से ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है। 1. आवंटी द्वारा आवंटन कोई तथ्य छिपाकर या कपटपूर्वक करवाया गया हो। 2. आवंटन नियमों के विरूद्ध किया गया हो। 3. आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हो। प्रार्थी ने उपरोक्त आवंटित आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना तो बताया है, किन्तु बहस में उपरोक्त अनुसार ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं किया गया है जिससे यह पाया जाता हो कि 1. आवंटी द्वारा आवंटन कोई तथ्य छिपाकर या कपटपूर्वक करवाया गया हो। 2. आवंटन नियमों के विरूद्ध किया गया हो। 3. आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हो। ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किऐ जाने योग्य नहीं पाया जाता है, किन्तु प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ तहसीलदार पीपल्दा आवंटी द्वारा उसे आवंटित आराजी के सम्बन्ध में यदि उपरोक्त स्थिति पाई जाती है तो अप्रार्थी के आवंटन को निरस्त करने हेतु विधिवत कार्यवाही प्रस्तुत करे।

6. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा